

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(54/2011)/अलेसे -III/ 10527-29

दिनांक :- 4/9/2015

कार्यालय आदेश

श्री अमित जैन, कनिष्ठ लेखाकार (लिनक नं. 9725) को उनके आवेदन एवं कार्यालय कोषाधिकारी, बाड़मेर द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नांकित तालिका अनुसार कुल 20 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) एवं वित्त (राजस्व) विभाग के मेमोरेन्डम एफ.1(2)एफ.डी.(रूल्स)/06 पार्ट-I दिनांक 22.05.2009 एवं 11.06.2014 के क्रम में स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	माह/वर्ष	अवैतनिक अवकाश अवधि	
		दिनांक	अवधि (दिवस)
1.	अगस्त, 2013	19.08.2013, 26.08.2013 एवं 27.08.2013	3
2.	सितम्बर, 2013	20.09.2013	1
3.	दिसम्बर, 2013	23.12.2013	1
4.	जुलाई, 2014	01.07.2014 से 13.07.2014 तक	13
5.	अगस्त, 2014	14.08.2014	1
6.	दिसम्बर, 2014	26.12.2014	1
		Total	20


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(54/2011)/अलेसे -III/ 10527-29

दिनांक :- 4/9/2015

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, बाड़मेर को श्री अमित जैन, कनिष्ठ लेखाकार के स्वीकृत असाधारण अवकाश का आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री अमित जैन, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, बाड़मेर को सूचनार्थ प्रेषित है। लिंक नं. 9725
3. एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।


(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्गिक-III)